राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर (छ.ग.)

ई–मेल : seaccg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 29/01/2024 को संपन्न 509वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

——00——

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024 को डॉ. बी.पी. नोन्हारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. शैलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. डॉ. मनोज कुमार चोपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. श्री कलदियुस तिर्की, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1ः **506वीं, 507वीं एवं 508वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/01/2024, 10/01/2024 एवं 11/01/2024 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।**

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 506वीं, 507वीं एवं 508वीं बैठक क्रमशः दिनांक 09/01/2024, 10/01/2024 एवं 11/01/2024 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2ः **गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।**

1. मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड, ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2758)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 453030/2023, दिनांक 22/11/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह कोयला (मुख्य खनिज) खदान है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् खदान ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में कुल क्षेत्रफल 277.10 हेक्टेयर में Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) within the existing Mine lease Area 277.10 hectare के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग 81 करोड़ (वर्तमान में 74 करोड़ तथा क्षमता विस्तार उपरांत 7 करोड़) रुपये होगा।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पी.एस. दत्ता गुप्ता, हेड कॉर्पोरेट–अफेयर्स एवं श्री बिरेन्द्र कुमार, डी.जी.एम. इन्व्हायरमेंट एण्ड फॉरेस्ट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**
   i. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 02/06/2021 को करवाही ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट सब–ब्लॉक गारे IV/7, कुल क्षेत्रफल– 335.736 हेक्टेयर, कोयला उत्खनन क्षमता–1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का हस्तांतरण मेसर्स मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड से मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड के नाम पर की गई।
   ii. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 24/03/023 के माध्यम से भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 के अनुसार करवाही ओपन कास्ट कोल माईन प्रोजेक्ट सब–ब्लॉक गारे IV/7, कुल क्षेत्रफल– 277.10 हेक्टेयर, कोयला उत्खनन क्षमता– 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.44 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Stage I-20% expansion) के क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी गई है।
   iii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 04/07/2023 पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–
      - एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा विस्तृत वृक्षारोपण का प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
      - ट्रांसपोटेशन प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
      - कुल माईनिंग लीज क्षेत्रफल का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है।
      - इन्व्हायरमेंटल लैबोरेटरी स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त बाबत् परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण का विस्तृत विवरण सहित प्रस्ताव, ट्रांसपोटेशन प्लान का विस्तृत प्रस्ताव, कराये गये डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर में दिनांक 26/09/2023 को प्रस्तुत की गई है। साथ ही इन्व्हायरमेंटल लैबोरेटरी 01 वर्ष के भीतर स्थापित किये जाने की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान में एन. ए.बी.एल. अधिकृत संस्था मेसर्स इन्व्हायरो एनालिस्ट एण्ड इंजिनियर्स प्राईवेट लिमिटेड से मॉनिटरिंग कराया जाता है तथा अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ प्रेषित की जाती है।

2. **जल एवं वायु सम्मति** – छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा कोल माईनिंग क्षमता – 1.44 मिलियन टन प्रतिवर्ष, हेतु जल एवं वायु स्थापना सह संचालन सम्मति दिनांक 25/05/2023 को जारी की गई है, जो कि दिनांक 31/03/2024 तक वैध है।

3. **भू–स्वामित्व** – भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 08/03/2021 के माध्यम से वेस्टिंग आदेश (Vesting Order) मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनेरल्स लिमिटेड के नाम से जारी की गई है।

4. **लीज का विवरण** – लीज मेसर्स सारडा एनर्जी एण्ड मिनरल्स लिमिटेड के नाम पर है। लीज डीड दिनांक 23/11/2021 से 22/11/2051 तक की अवधि हेतु वैध है।

5. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

   - निकटतम आबादी ग्राम–करवाही 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन रायगढ़ 30.56 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। वीर सुरेन्द्र साँई विमानपत्तन, झारसुकडा 62.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राज्यमार्ग 11.7 कि.मी. एवं केलो नदी 1.2 कि.मी. तथा पजनीझार नदी 5 कि.मी. दूर है।
   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Area (in HA)
1.	Excavation Area	248.44
2.	External OB Dumb	7.89
3.	Other Uses	1.65
4.	Infrastructure Area	0.60
5.	Green Belt Area	18.52
Total		**277.10**

7. **प्रस्तावित इकाई संबंधी जानकारी –**

S.No.	Block Area	Eariler Granted EC 1.44 MTPA	Proposed Production 1.68 MTPA
1.	Lease Area	277 ha	277 ha
2.	Life of Project	24 years	24 years

3.	Capacity	1.44 MTPA	1.68 MTPA
4.	Mining Technology	Shovel and Dumper Mining, Surface Miner in Coal with Dumpers.	Shovel and Dumper Mining, Surface Miner in Coal with Dumpers.

8. **उत्खनन योजना** – भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 20/06/2022 द्वारा माईनिंग प्लान एण्ड माईन क्लोजर प्लान (1st मॉडिफिकेशन) प्रस्तुत किया गया है।

9. **खनन संपदा एवं खनन का विवरण** – जियोलॉजिकल रिजर्व 215.14 मिलियन टन एवं माईनेबल रिजर्व 48.84 मिलियन टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 8.6 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकैनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 100 मीटर है। खदान से लगभग 102.71 मिलियन टन ओव्हर बर्डन जनित होगा, जिसे डम्प साईट–1 क्षेत्रफल 23.72 हेक्टेयर, डम्प साईट–2 क्षेत्रफल 22.72 हेक्टेयर, डम्प साईट–3 क्षेत्रफल 12.17 हेक्टेयर एवं डम्प साईट–4 क्षेत्रफल 23.8 हेक्टेयर में भण्डारित कर पुनःभराव हेतु संरक्षित रखा जाएगा। बेंच की चौड़ाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 6 मीटर है। खदान की संभावित आयु 24 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	उत्खनन (मिलियन टन)	वर्ष	उत्खनन (मिलियन टन)
2022–23	1.8	2027–28	1.8
2023–24	1.8	2028–29	1.8
2024–25	1.8	2029–30	1.8
2025–26	1.8	2030–31	1.8
2026–27	1.8	2031–32	1.8

10. **जल आपूर्ति** – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 520 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 32 घनमीटर प्रतिदिन, औद्योगिक प्रयोजन हेतु 340 घनमीटर प्रतिदिन, डस्ट सप्रेशन में 150 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण हेतु 150 घनमीटर प्रतिदिन, पुनःभराव / भू–समतलीयकरण हेतु 40 घनमीटर प्रतिदिन, ड्रिलिंग / वाशिंग /वार्क शॉप हेतु 173 घनमीटर प्रतिदिन, फायर फाईटिंग में 15 घनमीटर प्रतिदिन एवं कोल हेडलिंग प्लांट में 54 घनमीटर प्रतिदिन) होगी। जल की आपूर्ति माईन पिट एवं भू–जल के माध्यम से की जाती है। वर्तमान में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 18 घनमीटर प्रतिदिन हेतु अनापत्ति प्राप्त है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पेयजल की आपूर्ति भू–जल से एवं अन्य औद्योगिक प्रयोजन हेतु जल की आपूर्ति माईन पिट के माध्यम से की जाएगी।

11. **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टीक टैंक एवं सोक पिट स्थापित है। औद्योगिक दूषित जल के उपचार हेतु ई.टी.पी. स्थापित है। ई.टी.पी. से उपचार उपरांत जल का पुनः वाशिंग हेतु उपयोग किया जाता है।

12. कोयले का परिवहन खदान से रेलवे साईडिंग तक ट्रकों के माध्यम से किया जाता है। तत्पश्चात् रेलवे साईडिंग से रेल के माध्यम से परिवहन किया जाता

है। उपरोक्त व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी रखा जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ट्रांसपोटेशन रूट प्रस्तुत किया गया है।

13. **वृक्षारोपण कार्य** – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी (8.6 हेक्टेयर) में से वर्तमान में 2.58 हेक्टेयर में 12,900 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 6.02 हेक्टेयर क्षेत्र में 12,500 नग पौधों का रोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2024–25 में 0.8 हेक्टयेर (1,600 नग), वर्ष 2025–26 में 1.842 हेक्टयेर (4,146 नग), वर्ष 2026–27 में 0.729 हेक्टयेर (1,458 नग), वर्ष 2027–28 में 0.378 हेक्टयेर (756 नग) एवं वर्ष 2028–29 में 2.27 हेक्टयेर (4,540 नग) वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आगामी 05 वर्ष हेतु उत्खनन उपरांत उत्खनित क्षेत्र 34.40 हेक्टेयर में पुनःभराव कर 1,72,000 नग वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है, जिसे वर्ष 2024–25 में 6.4 हेक्टयेर (32,000 नग), वर्ष 2025–26 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग), वर्ष 2026–27 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग), वर्ष 2027–28 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग) एवं वर्ष 2028–29 में 7 हेक्टयेर (35,000 नग) वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में उत्खनित क्षेत्र 3 हेक्टेयर में पुनःभराव कर 12,000 नग वृक्षारोपण किया गया है। नियमानुसार 7.5 मीटर पट्टी में हरित पट्टी का निर्माण आवश्यक है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ले–आउट प्लान प्रस्तुत किया गया है।

14. **खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन** – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।

15. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च 2022 से 31 मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 8 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	37.9	57.4	60
PM_{10}	66.2	94.1	100
SO_2	7.5	14.2	80
NO_2	14.3	39.7	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.6	64.2	75
Night L_{eq}	37.7	53.7	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणना:–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1260 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.035 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 474 पी.सी.यू. प्रतिदिन की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 1,734 पी.सी.यू. प्रतिदिन एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0. 0482 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल/प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक A (Excellent) के भीतर है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना:–**

S No.	Parameters (Max. impact of worst case scenario)	Max. monitored background Conc. (µg/m3)	Incremental GLC (µg/m^3)	Total GLC (µg/m^3)
1	PM_{10}	94.1	0.132	94.232
2	$PM_{2.5}$	57.4	0.038	57.438
3	SO_2	14.2	0.00006	14.20006
4	NO_2	39.7	0.00002	39.70002

vii. फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

16. **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – खदान परिसर में वर्षा जल 7,19,830 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी तथा माईन सिपेज से 6,04,460 घनमीटर प्रतिवर्ष होगी। उपरोक्त जल को गारलेण्ड ड्रेन के माध्यम से खदान के भीतर माईन पिट–01 क्षेत्रफल 8.25 हेक्टेयर क्षेत्र में एकत्रित कर रखा जाएगा। माईन पिट से लगभग 1,43,966 घनमीटर प्रतिवर्ष ग्राउण्ड वाटर में रिचार्ज होना बताया गया है।

17. **विद्युत खपत** – खदान हेतु 0.4 मेगावॉट की आवश्यकता होती है, जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 2 नग 500 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

18. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund allocated (in Lakh Rupees)
8098	1%	80.98	Following activities at Village- Rodopaali, Janpad Panchayat Tamnar, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	32.20
			Development of ECO Park	15.41
			Total (A)	**47.61**

			Following activities at Village- Taraimaal, Maa Banjari Mandir Samiti, Tehsil- Gharghoda, Dist- Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	22.88
			Plantation around Village Pond	15.15
			Total (B)	**38.03**
			Grand Total	**85.64**

i. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)" (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 1,500 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 7,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 4,40,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 3,15,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 18,55,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 13,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोडोपाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 152, क्षेत्रफल 1.914 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

ii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)" (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 200 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 1,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,36,000 रूपये, खाद के लिए राशि 20,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 2,20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,76,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत रोडोपाली के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 159, क्षेत्रफल 0.182 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iii. सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क निर्माण (Ecological Park)" (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 1,000 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 5,00,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 3,28,000 रूपये, खाद के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई (बोरवेल सहित) के लिए राशि 2,00,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि (गेट सहित) के लिए राशि 3,45,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 14,23,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मां बंजारी मंदिर समिति, तराईमल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 2/3, क्षेत्रफल 1.036 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

iv. सी.ई.आर. के अंतर्गत "तालाब के सौन्दरीयकरण" (नीम, बरगद, बेल, कदम, जामुन, पीपल, आंवला, सीसम, अर्जुन आदि) 500 नग वृक्षारोपण हेतु पौधों के लिए राशि 2,50,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,80,000 रूपये, खाद

के लिए राशि 50,000 रूपये, सिंचाई (गेट सहित) के लिए राशि 50,000 रूपये, तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 20,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 6,50,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा मां बंजारी मंदिर समिति, तराईमल के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 35, क्षेत्रफल 0.858 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

19. समिति का मत है कि ईको पार्क (Ecological Park) में आवश्यकतानुसार वाटर बॉडी का भी निर्माण किया जाए तथा ऑक्सीजोन के रूप में विकसित किया जाए। ईको पार्क निर्माण की प्रगति की जानकारी अर्धवार्षिक पालन प्रतिवेदन में दी जाए। एस.ई.ए.सी, छत्तीसगढ़ द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

20. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 एवं संशोधित ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 30/05/2022 के तहत् Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) within the existing Mine lease हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

21. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

22. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

23. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

24. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि मेरी खदान में किसी भी प्रकार का दूषित जल (यदि उत्पन्न होता है तो) का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किया जा रहा है। मेरे द्वारा खदान के संचालन के दौरान तालाब एवं अन्य निकटतम जल निकायों को किसी भी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी. एवं प्राकृतिक जल स्रोत, नाला, नदी, तालाब के संरक्षण और संवर्धन हेतु निम्न उपाय किए जायेंगे–

    i. आवेदित खदान से किसी भी प्रकार का दूषित जल उत्पन्न नहीं होता है अर्थात् किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह किसी भी प्राकृतिक जल स्रोत नाला, तालाब इत्यादि में प्रवाहित नहीं किया जावेगा।

ii. खदान कार्यालय से उत्पन्न घरेलू अपशिष्टों के निपटान के लिए सेप्टिक टैंक और सोख गड्ढे प्रदान किए जाएंगे।

iii. सतही जल के संरक्षण के लिए बदान के चारों ओर गारलैंड ट्रेन व सेटलिंग टैंक के द्वारा उपचारित करके ही अन्य स्रोत में छोड़ा जावेगा।

iv. खदान के अंदर वर्षा के द्वारा संचित जल को उपचारित करके आवश्यकतानुसार ग्रामीणों को उपलब्ध कराया जावेगा।

v. खदान के माईन बाउंड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जावेगा।

vi. यथासंभव तालाब एवं नालों के किनारों पर वृक्षारोपण किया जावेगा।

27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

29. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 214 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

30. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जावेगा इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि संयुक्त पर्यावरण प्रबंधन योजना के अनुपालन के लिए पर्यावरण के गाइडलाईन के अनुसार पर्यावरण समिति का गठन किया गया है जिस पर एक पर्यावरणविद की नियुक्ति की गयी है।

32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खदान के माईन बाउंड्री में चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जा जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य है।

33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि धूल (डस्ट) के निराकरण के लिए टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जिससे स्कूल, अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में प्रभाव नगण्य है।

34. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि खनिज परिवहन हेतु रेल एवं रोड तारपोलिन से ढ़ककर किया जा रहा है, जिससे रास्ते में वहान से खनिज ना गिरे।

35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि वाहनों का परिवहन स्कूल एवं आबादी क्षेत्र से होकर नहीं किया जावेगा जिससे स्कूल अस्पताल एवं आबादी क्षेत्र में परिवहन का प्रभाव नगण्य होगा।

36. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल एवं आबादी क्षेत्र में कैंप लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है।

37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के AIR MODELLING के परिणामों के अनुसार स्टडी क्षेत्र का ग्राउंड लेवल कंसंट्रेशन CPCB के मानकों के भीतर पाए गए हैं अतः आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल आदि पर PM–10 का प्रभाव नगण्य होगा।

38. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि धूल एवं ब्लास्टिंग आदि से होने वाले प्रभावों के लिए DGMS से रजिस्टर्ड ब्लास्टर द्वारा नियमानुसार कम तीव्रता वाले नियंत्रित विस्फोट की तकनीक अपनाकर कम किया जावेगा। जिससे ब्लास्टिंग के कारण आबादी क्षेत्र, स्कूल एवं अस्पताल पर पड़ने वाला प्रभाव नगण्य होगा।

39. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि सड़कों का उचित रख–रखाव एवं धूल आदि से सुरक्षा हेतु नियमित जल छिड़काव किया जा रहा है, अतः रोड, आबादी स्कूल आदि पर धूल का प्रभाव नगण्य है।

40. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि अध्ययन क्षेत्र में पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट के NOISE MODELLING के अनुसार परिवहन, तथा विभिन्न ध्वनि प्रशिक्षण केन्द्रों के संयुक्त परिणाम, रात एवं दिन में CPCB के मानकों के भीतर पाये गए। अतः आबादी क्षेत्र स्कूल एवं अस्पताल पर प्रभाव नगण्य होगा।

41. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि CER के तहत् प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण कर लेने के उपरांत सभी संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर, जियोटेग फोटोग्राफ सहित जानकारी पर्यावरण स्वीकृति हेतु जमा किए जाने वाले अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित कर प्रस्तुत किया जावेगा।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) एवं जारी ऑफिस मेमोरेण्डम दिनांक 11/04/2022 तथा दिनांक 30/05/2022 के अनुसार Para 7 (II) (a) के तहत् खदान ग्राम–करवाही, खम्हरिया, सराईटोला, ढोलनारा, एवं बजरमुड़ा, तहसील–तमनार, जिला–रायगढ़ में कुल क्षेत्रफल 277.10 हेक्टेयर में Expansion of Karwahi Open cast Coal Mine (Gare Palma IV/7 Coal Mine) production capacity from 1.44 MTPA to 1.68 MTPA (Stage –II: 40% expansion) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई। इसके अतिरिक्त निम्न शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गईः–

   i. Project proponent shall obtain CTE/CTO from Chhattisgarh Environment Conservation Board for Coal production capacity 1.68 MTPA.

   ii. Project proponent shall made CER fund as CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund allocated (in Lakh Rupees)
8098	1%	80.98	Following activities at Village- Rodopaali, Janpad Panchayat Tamnar, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	32.20
			Development of ECO Park	15.41
			Total (A)	**47.61**
			Following activities at Village- Taraimaal, Maa Banjari Mandir Samiti, Tehsil- Gharghoda, Dist-Raigarh, Chhattisgarh.	
			Development of ECO Park	22.88
			Plantation around Village Pond	15.15
			Total (B)	**38.03**
			Grand Total	**85.64**

iii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools.

iv. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

v. The project proponent shall submit the wildlife conservation plan duly approved by the PCCF (Wildlife) and the project money to be deposited in State CAMPA Fund.

vi. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned principal of the respective schools/ concerned authority.

vii. Project proponent shall ensure to develop a Greenbelt consisting of 3-tier plantation of width not less than 7.5 meter (not less than 8.6 Hectare) all along the mine lease area. Project proponent shall do

plantation over reclaimed area as per the above proposal. The green belt comprising a mix of native species (endemic species should be given priority) shall be developed all along the major approach/ coal transportation roads.

viii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc and submit a report at every 06 months.

ix. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA). Ground water shall be used only for domestic purpose.

x. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

xi. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM10 and PM2.5 in reference to PM emission, and SO2 and NOx in reference to SO2 and NOx emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

xii. Project authorities shall provide Occupational heath surveillance records and submitted in six- monthly monitoring report.

xiii. The project proponent shall obtain permission from district collector for cutting of green trees in the project area, without permission from collector the green shall not be cut.

xiv. The project proponent shall conduct the Biodiversity study of the project area and submit the report.

xv. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as amended).

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृतियों में अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बिलासपुर माईनिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड (खरकेना डोलोमाईट माईन), ग्राम–खरकेना, तहसील–तखतपुर, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2258)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 412455 एवं 22/11/2023	
खदान का प्रकार	डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान	संचालित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	9.45 हेक्टेयर एवं 2,00,000.8 टन प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक	1107(पार्ट), 1109, 1119, 1131/1,	संलग्न है।

	1131/2, 1131/3, 1132, 1133, 1134 एवं 1136/2	
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स दर्री सेण्ड क्वारी प्रोजेक्ट (प्रो.– श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा), ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2237)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 411396 एवं 20/12/2022 ई.सी. – 453176 एवं 23/11/2023	टी.ओ.आर. जारी दिनांक 03/04/2023
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	16 हेक्टेयर एवं 3,17,334 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक 759 एवं महानदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री विजय साहेब, अधिकृत प्रतिनिधि	अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत दर्री दिनांक 12/05/2014	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 19/12/2022	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 13/12/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 13/12/2022	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 13/12/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा दिनांक – 08/12/2022 वैधता अवधि – 6 माह	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 03/01/2024 छ.ग. गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019 के नियम 7 (4) परन्तुक के तहत् उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनन पट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु

		अतिरिक्त समयावधि प्रदान करने का उल्लेख किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वन मण्डलाधिकारी, धमतरी वन मण्डल धमतरी द्वारा जारी दिनांक 24/04/2023	वन क्षेत्र से दूरी – 5.6 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – दर्री 170 मीटर, स्कूल ग्राम – दर्री 230 मीटर अस्पताल – नरहरपुर 1.78 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 8.06 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 775 मीटर, न्यूनतम 595 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 735 मीटर, न्यूनतम 725 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 250 मीटर, न्यूनतम 190 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 117 मीटर, न्यूनतम 61 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3.5 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 3,17,334 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 16 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 20/12/2022 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 1,333 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नदी तट के किनारे से न्यूनतम 10 प्रतिशत की दूरी छोड़ने हेतु	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
वृक्षारोपण कार्य	3,200 नग वृक्षारोपण नदी तट पर, खसरा क्रमांक 717, रकबा 2.77 हेक्टेयर में से 2	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि–5,70,000

<table>
<tr><td></td><td>हेक्टेयर ग्राम पंचायत दर्री का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया।</td><td></td></tr>
<tr><td>ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण</td><td>मॉनिटरिंग –
1 जनवरी 2023 से 31 मार्च 2023
गुणवत्ता मापन स्थलः –
परिवेशीय वायु – 8
भू–जल – 4
सतही जल – 3
ध्वनि स्तर – 8
मिट्टी के नमूने – 5
$PM_{2.5}$ – 36.3 से 42.8 µg/m^3
PM_{10} – 71.6 से 80.9 µg/m^3
SO_2 – 6.3 से 7.2 µg/m^3
NO_2 – 10.9 से 12.4 µg/m^3
Noise level - dB (A)
Day L_{eq} – 42.2 से 65.1
Night L_{eq} – 32.4 से 56.1</td><td>गुणवत्ता निर्धारित मानक सीमा के भीतर है।</td></tr>
<tr><td>पी.सी.यू. की गणना</td><td>साईट हेतु –
वर्तमान में 90 पी.सी.यू./दिन
व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05
परियोजना उपरांत 354.445 पी.सी.यू./दिन
व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1969
राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु –
वर्तमान में 530 पी.सी.यू./दिन
व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.08
परियोजना उपरांत 794.445 पी.सी.यू./दिन
व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.1324</td><td>साईट हेतु –
लोड कैरिंग क्षमता A (Excellent) श्रेणी का है।

राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु –
लोड कैरिंग क्षमता A (Excellent) श्रेणी का है।</td></tr>
<tr><td>जी.एल.सी. की गणना</td><td><table><tr><th>Parameter</th><th>Max Basline Concetr-ations (µg/m^3)</th><th>Predicted GLC Aermod (µg/m^3)</th><th>Cumlati-ve GLC (µg/m^3)</th></tr><tr><td>PM_{10}</td><td>74.8</td><td>0.93</td><td>75.73</td></tr><tr><td>$PM_{2.5}$</td><td>40.7</td><td>0.47</td><td>41.17</td></tr><tr><td>SO_2</td><td>6.7</td><td>2.75</td><td>9.45</td></tr><tr><td>NO_X</td><td>11.6</td><td>16.48</td><td>28.08</td></tr></table></td><td>निर्धारित भारतीय मानक सीमा के भीतर है।</td></tr>
<tr><td>लोक सुनवाई</td><td>दिनांक 03/10/2023
समय – प्रातः 10:00 बजे
स्थान – ग्राम पंचायत कार्यालय दर्री, ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी</td><td>लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 01/12/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।</td></tr>
</table>

लोक सुनवाई	**मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–** 1. रॉयल्टी का पैसा पंचायत में आना चाहिए। 2. रोड़ मरम्मत एवं तालाब सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाए। 3. रोड के किनारें वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। 4. ग्रामों के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा लोक सुनवाई में उठाये गये मुख्य रूप से सुझाव/विचार के निराकरण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। समिति का मत है कि उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 16 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
123.7	2%	2.474	Following activities at Nearby, Village- Darri	
			Plantation around village pond	1.15
			Pond renovation at Gram Panchayat Darri	1.56
			Total	2.71

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, जाम, सीताफल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 200 नग पौधों तालाब कें चारो ओर पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 15,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण एवं तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु 1,56,700 रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दर्री के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 485, क्षेत्रफल 0.79 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

3. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही

आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. लोक सुनवाई में उठाये गये मुख्य रूप से सुझाव/विचार के निराकरण हेतु प्रस्ताव को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स दर्री सेण्ड माईन (प्रो.– श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा) को ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी, खसरा क्रमांक 759, कुल लीज क्षेत्रफल–16 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 1,333 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 15.8667 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 95,200 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–01** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

5. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2017)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 76840/2022, दिनांक 11/05/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी1 / 453167/ 2023, दिनांक 24/11/2023 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42 हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू–हॉट चार्जिंग क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष एवं थ्रू–रि–हीटिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। वर्तमान में परियोजना का विनियोग 27.80 करोड़, क्षमता विस्तार हेतु परियोजना का विनियोग 30 करोड़ है। इस प्रकार क्षमता विस्तार उपरांत परियोजना की कुल विनियोग 57.80 करोड़ रूपये होगी।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/06/2023 द्वारा प्रकरण 'बी1' केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 3(ए) मैटालर्जिकल इंडस्ट्रीज (फेरस एण्ड नॉन–फेरस) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/01/2024 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनमोहन अग्रवाल, जनरल मैनेजर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स एनाकॉन लैबोटरीज प्राईवेट लिमिटेड, नागपुर की ओर से श्री श्रीकांत व्यवहारे उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–**

   i. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 2180, दिनांक 04/03/2021 द्वारा हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए एवं 1बी, कुल क्षेत्रफल – 2.023 हेक्टेयर में प्रथम चरण के अंतर्गत क्षमता विस्तार के तहत् री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल आधारित री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से 57,800 टन प्रतिवर्ष तथा द्वितीय चरण उपरांत माईल्ड स्टील बिलेट क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष एवं री–रोल्ड स्टील प्रोडक्ट्स क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष (36,800 टन प्रतिवर्ष थ्रु हॉट चार्जिंग एवं 21,000 टन प्रतिवर्ष थ्रु बिलेट्स री–हिटिंग फर्नेस बेस्ड ऑन पल्वराईज्ड कोल) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई।

तत्पश्चात् एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1285, दिनांक 21/09/2021 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन जारी किया गया है।

ii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 13/01/2023 को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसारः–

- एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा बिल्डिंग के छत में सोलर की सुविधा एवं सोलर लाईट की सुविधा के संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA and Disaster Management Plan) के संबंध में Onsite and Offsite enmergency plan प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
- सेल्फ इन्व्हायरोमेंटल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा दिनांक 30/01/2023 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एक्शन टेकन रिपोर्ट की प्रति संलग्न कर प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसारः–

- इण्डक्शन फर्नेस का काम निर्माणधीन होने के कारण छत में सोलर की सुविधा एवं सोलर लाईट की सुविधा वर्तमान में नहीं की गई है। संचालन प्रारंभ करने के पूर्व सोलर की सुविधा की जाएगी।
- Onsite and Offsite enmergency plan तैयार कर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA and Disaster Management Plan को शामिल किया गया है।
- इन्व्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं 30 मीटर की चिमनी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, चिमनी में ऑनलाईन कंटीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना का प्रस्ताव है तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सर्वर से संबद्ध किया जाना प्रस्तावित है, आंतरिक मार्गों का पक्कीकरण, 04 नग सतत् परिवेशीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उक्त ई.एम.पी. के क्रियान्वयन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा 60 लाख रूपये बजट होना बताया गया है।
- सेल्फ इन्व्हायरोमेंटल ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत गया है।

2. **जल एवं वायु सम्मति –**

i. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 9,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 38,640 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 21,000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 57,800 टन

प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु स्थापना सम्मति दिनांक 14/07/2021 को जारी की गई। तत्पश्चात् छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष हेतु जल एवं वायु संचालन सम्मति दिनांक 06/12/2021 को जारी की गई, जिसकी वैधता क्षमता विस्तार के संचालन प्रारंभ माह के प्रथम दिवस से 1 वर्ष (First date of month of commissioning of the plant with expanded capacity) तक के लिए है।

3. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी –**

i. निकटतम आबादी ग्राम–हथखोज 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेल्वे स्टेशन भिलाई नगर 3.5 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 36 कि.मी. की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 12 कि.मी. एवं तालाब 1 कि.मी. दूर है।

ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

4. **भू–स्वामित्व** – भूमि मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस के नाम पर है। साथ ही पार्टनर्स यथा श्री निर्माण अग्रवाल एवं श्री तुसार अग्रवाल द्वारा पार्टनरशीप डीड की प्रति प्रस्तुत की गई है।

5. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S.No.	Land use	Existing Area (Ha)	Final area (Ha)	%
1.	Roof top/Builtup area	1.00	1.30	54
2.	Area under road & Paved	0.24	0.20	8
3.	Greenbelt area	0.668	0.82	34
4.	Open area	0.112	0.10	4
Total		**2.02**	**2.42**	**100**

6. **रॉ–मटेरियल :–**

Material Balance (In TPA)			
For Induction furnace with hot charging mill			
Input		**Output**	
Sponge Iron	1,36,586	MS Billet and/or Hot Rolled TMT	1,05,000
CI / Pig Iron Heavy Scrap	30,625	Cold billet not possible to re-rolled	28,000
Ferro Alloys & Aluminium	1,697	Defective billets	4,200
Ramming mass and Refractory lining	350	Mill Scale from IF and CCM	2,800
		Slag	24,761
		Refractory Waste	175
		Loss on ignition (LOI)	4,322
Total	**1,69,258**	**Total**	**1,69,258**

For Fuel Fired Rolling Mill			
Input		**Output**	
MS billet from internal and market	1,23,579	Re-rolled steel product	1,44,000
MS billet from internal	28,000	Mill Scale	3,600
		Miss roll/end cutting	3,979
Coal	17,280	Ash	1,728
		Loss on ignition (LOI)	15,552
Total	**1,68,859**	**Total**	**1,68,859**

For Pipe Fabrication Unit (In TPA)			
Input		**Output**	
Steel strips from self	1,24,800	MS pipe	1,20,000
Welding electrodes required for pipe welding	200	Scrap from pipe mill	5,000
Total	**1,25,000**	**Total**	**1,25,000**

7. स्थापित एवं प्रस्तावित कार्यकलाप का विवरण निम्नानुसार है:-

पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 04/03/2021 के अनुसार :-

First Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets	Induction Furnace and CCM	9,000	-
Re-rolled steel product	New Re-rolling mill connected to existing Billet Reheating Furnace	-	36,800
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000
	Total Re-rolled steel product		**57,800**

Second Phase			
Product	**Facility**	**Existing Capacity (TPA)**	**After Expansion Capacity (TPA)**
MS Ingot/Billets or Re-rolled product through hot charging	Induction Furnace and CCM (MS Billets)	9,000	38,640
	Or		
	Re-rolling mill with hot charging of semi-finished steel i.e. hot MS Billet	-	36,800
Re-rolled steel product through BRF	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	21,000	21,000

प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत :–

Unit	Product	After Expansion Capacity (TPA)	Total capacity (TPA)
Induction furnace	MS Ingot/Billets	1,33,000	1,33,000
Rolling mill	Re-rolled product through hot charging	1,05,000	2,49,000
	Re-rolling mill with Billet Reheating Furnace	1,44,000	
Pipe Fabrication Unit	MS pipe	1,20,000	1,20,000

8. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – क्षमता विस्तार उपरांत इण्डक्शन फर्नेस के साथ सी.सी.एम. में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर विथ सेंट्रल डस्ट कलेक्शन सिस्टम एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है तथा कोल गैसीफायर री–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु वेट स्क्रबर एवं चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर रखा जाना प्रस्तावित है। इण्डक्शन फर्नेस एवं रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर का उत्सर्जन 30 मिलिग्राम/सामान्य घनमीटर से कम रखे जाने का प्रस्ताव किया गया है। चिमनी में ऑनलाईन कंटीन्युअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम की स्थापना किया जाना तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के सर्वर से संबद्ध किया जाना प्रस्तावित है फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी।

9. ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था –

S.No	Iteam	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,761	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.
3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	6,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Miss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will sold to other units.

10. हजार्ड्स (Hazardous) अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था–

Type of Hazardous Waste	H. W. Category (as per HWM Schedule 1)	Quantity	Disposal
Waste Oil/Used	5.1	3	Will be given to

Oil		KL/annum	authorized recycler having authorization from competent authority.
Used Lead acid Batteries	17	10 numbers	

11. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत परियोजना हेतु 180 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं औद्योगिक उपयोग हेतु 170 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति भू–जल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल की उपयोगिता हेतु वर्तमान में सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से 90 घनमीटर प्रतिदिन की अनुमति प्राप्त की गई है। प्रस्तुतिकरण के दौरान बताया गया कि 245 घनमीटर प्रतिदिन जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी को आवेदन किया गया है। उद्योग संचालन के पूर्व सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाएगा।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसारः–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – औद्योगिक प्रक्रिया से दूषित जल उत्पन्न होता है। रोलिंग मिल से कुलिंग उपरांत प्राप्त दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग में लाया जाता है। प्रस्तावित कार्यकलाप हेतु औद्योगिक प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल औद्योगिक दूषित जल को ठंडा कर पुनः कूलिंग हेतु उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित परियोजना से उत्पन्न घरेलू दूषित जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। वर्तमान में घरेलू दूषित जल के उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण किया गया है। उपचारित जल को हरित पट्टिका के विकास एवं डस्ट सप्रेशन में उपयोग किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था** – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 19,641 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 4 नग रिचार्ज वेल (व्यास 1 मीटर एवं गहराई 3 मीटर) एवं 2 नग रिचार्ज पिट (3 मीटर लम्बाई, 2 मीटर चौड़ाई, 2 मीटर गहराई) निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएगें कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

12. **विद्युत आपूर्ति स्त्रोत** – प्रस्तावित कार्यकलाप के पश्चात् परियोजना हेतु 15 मेगावॉट विद्युत की आवश्यकता होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु डी.जी. सेट

स्थापित किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकॉस्टिकली इंक्लोजर में स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में भी यही व्यवस्था अपनाई गई है।

13. **वृक्षारोपण संबंधी जानकारी** – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 0.82 हेक्टेयर (34 प्रतिशत) क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। वर्तमान में 0.668 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है। द्वितीय चरण में शेष 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में शेष 6 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही वृक्षारोपण (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. **ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषणः–**

i. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य 01 मार्च, 2022 से 31 मई 2022 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 9 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 8 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 4 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 8 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

ii. **मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ$_2$, एनओ$_2$ का सान्द्रण लेवलः–**

Concentration level (µg/m^3) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	**Minimum (µg/m^3)**	**Maximum (µg/m^3)**	**CPCB Standard (µg/m^3)**
$PM_{2.5}$	21.7	36.8	60
PM_{10}	56.5	73.4	100
SO_2	8.2	16.2	80
NO_2	16.5	24.4	80

iii. **परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ताः–** ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार क्लोराइडस, नाइट्रेट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्द्रण लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. **परिवेशीय ध्वनि स्तरः–**

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	**Minimum dB (A)**	**Maximum dB (A)**	**CPCB Standard dB (A)**
Day L_{eq}	47.6	64.2	75
Night L_{eq}	37.7	53.7	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. **पी.सी.यू. की गणनाः–** भारी वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 1,947 पी.सी.यू. प्रतिदिन है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 659 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 2,606 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.43 होगी। विस्तार के उपरांत भी रॉ–मटेरियल /

प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Good) के भीतर है।

vi. **जी.एल.सी. की गणना:–**

S.No.	Parameters	Baseline at project site ($\mu g/m^3$)	Predicted GLC ($\mu g/m^3$)	Total GLC ($\mu g/m^3$)
1	PM_{10}	75.6	0.15	75.75
2	$PM_{2.5}$	32.7	0.05	32.75
3	SO_2	17.6	0.33	17.93
4	NO_x	25.7	0.45	26.15

vii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की जानकारी प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि फ्लोरा (Flora) एवं फौना (Fauna) की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत किया गया है।

15. लोक सुनवाई दिनांक 11/09/2023 दोपहर 12:00 बजे स्थान – सी.एस.आई.डी.सी. कर्मशियल जोन, इंजिनियरिंग पार्क, हथखोज भिलाई, जिला–दुर्ग में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र दिनांक 11/10/2023 द्वारा प्रेषित किया गया है।

16. **जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:–**

i. स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावकों की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:–

i. शासन के नियमानुसार स्थानीय लोगों को रोजगार प्राथमिकता पर दी जायेगी।

17. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
3000	1%	30	Following activities at nearby, **Village-Hathkhoj**	
			Eco Park Cum Oxyzone	30
			Total	**30**

सी.ई.आर. के अंतर्गत "ईको पार्क कम ऑक्सीजोन" (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु ग्राम हथखोज के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 7,20,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 2,93,000 रूपये, खाद के लिए राशि 1,50,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 5,82,000 रूपये एवं अन्य खर्च के लिए राशि 3,00,000 रूपये इस

प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 20,45,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,55,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम विकास समिति हथखोज के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 287, क्षेत्रफल 0.75 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

18. वर्तमान में कोयला आधारित रि–हिटिंग फर्नेस से 57,800 टन रि–रोल्ड स्टील का उत्पादन किया जाता है, जिसमें 8,670 टन प्रतिवर्ष कोयले का उपयोग होता है। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत 1,44,000 टन रि–रोल्ड स्टील के उत्पादन हेतु रि–हिटिंग फर्नेस में 17,280 टन प्रतिवर्ष कोयले का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है।

19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कुल प्रोजेक्ट की लागत का ब्रेकअप प्रस्तुत किया गया है। क्षमता विस्तार के तहत् अनुमानित लागत लगभग 30 करोड़ रूपये है जिसका घटकवार विवरण निम्नानुसार है।

क्रमांक	मद	अनुमानित लागत् (लाख रूपये में)
1.	अतिरिक्त भूमि हेतु लागत्	85.00
2.	बिल्डिंग एवं सिविल हेतु लागत्	375.00
अ.	इंडक्शन को 6 से 10 टन में बदलने हेतु लागत्	800.00
ब.	रि–हिटिंग फर्नेस में उन्नयन की लागत्	125.00
स.	रोलिंग मिल स्ट्रेंड में लगाने तथा गति को अद्यतन करने की लागत्	875.00
3.	इलेक्ट्रीकल इंस्टॉलेशन की लागत् जिसमें अतिरिक्त विद्युत कनेक्शन को धारित करने की क्षमता वाली सुविधा का विकास शामिल है।	325.00
4.	अन्य मिसलेनियस खर्च	250.00
5.	पर्यावरण नियंत्रण उपकरण एवं अन्य गतिविधियां	165.00
	कुल	3,000.00
	सी.ई.आर.	30.00
	कुल लागत	**3,030.00**

20. सम्मति प्राप्त स्थापित क्षमता से उत्पादन की दशा में एवं क्षमता विस्तार उपरांत उत्पादन की दशा में कुल वायु प्रदूषण भार की गणना कर प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वर्तमान में प्रथम चरण में स्थापित रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 2.080 टन प्रतिवर्ष होती है। द्वितीय चरण में इंडक्शन फर्नेस विथ सी.सी.एम. हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल तथा रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 1.596 टन प्रतिवर्ष होती। प्रस्तावित क्षमता विस्तार उपरांत इंडक्शन फर्नेस विथ सी. सी.एम. हॉट चार्जिंग रोलिंग मिल तथा रि–हिटिंग फर्नेस आधारित रोलिंग मिल से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 8.076 टन प्रतिवर्ष होगी।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि:–

1. प्रस्तावित कार्यकलाप के तहत् मेसर्स एम.आर. इंटरप्राईजेस, हैवी इंडस्ट्रियल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग को हैवी इण्डस्ट्रीयल एरिया हथखोज, भिलाई, जिला–दुर्ग स्थित प्लाट नं. 1ए, 1बी एवं 2आई, कुल क्षेत्रफल – 2.42

हेक्टेयर में क्षमता विस्तार के तहत् इण्डक्शन फर्नेस (एम.एस.बिलेट्स) क्षमता – 38,640 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,33,000 टन प्रतिवर्ष, रि–रोल्ड स्टील क्षमता – 57,800 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 2,49,000 टन प्रतिवर्ष (थ्रू–हॉट चार्जिंग क्षमता – 1,05,000 टन प्रतिवर्ष एवं थ्रू–रि–हीटिंग क्षमता – 1,44,000 टन प्रतिवर्ष) एवं एम.एस. पाईप्स क्षमता – 1,20,000 टन प्रतिवर्ष हेतु **परिशिष्ट–02** में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

2. हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल न्यूनतम 34 प्रतिशत परियोजना क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त परियोजना क्षेत्र के 6 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य (पौधों के संख्या सहित) हेतु पौधों का रोपण, सुरक्षा हेतु फेंसिंग, खाद, सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का वर्षवार घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण सहित विस्तृत प्रस्ताव उद्योग परिसर के 5 कि.मी. की परिधि के भीतर सहमति प्राप्त शासकीय भूमि में किया जाना सुनिश्चित करें।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स कोट सेण्ड माईन (प्रो.– श्रीमती स्वाति बंजारे), ग्राम–कोट, तहसील–दुंड्रा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2795)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 446203 एवं 25/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.1 हेक्टेयर एवं 49,266 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–1/1(पार्ट) एवं जोंक नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री सोहनलाल वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि	अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कोट दिनांक 08/12/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 03/10/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 03/10/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 03/10/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 03/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्रीमती स्वाति बंजारे (खसरा क्रमांक 01 का भाग, क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर) दिनांक – 31/07/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	संशोधित एल.ओ.आई. (खसरा क्रमांक 01 का भाग, क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर के स्थान पर 1/1, क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर) दिनांक 12/09/2023

वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, बलौदाबाजार, वनमण्डल बलौदाबाजार द्वारा जारी दिनांक 18/01/2024	वन क्षेत्र से दूरी – 5 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– कोट 660 मीटर एवं मोतीपुर 520 मीटर स्कूल ग्राम– कोट 820 मीटर अस्पताल– कसडोल 8.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 1.5 कि.मी. राज्यमार्ग– 6.5 कि.मी.	बांध–11.35 कि.मी. रिजर्वायर–11.35 कि.मी. सिंचाई नहर–680 मीटर एनीकट–9.7 कि.मी. नाला–1 कि.मी. तालाब–510 मीटर रोड ब्रिज– 3.35 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 440 मीटर, न्यूनतम 330 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 421 मीटर, न्यूनतम 398 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 105 मीटर, न्यूनतम 95 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 42 मीटर, न्यूनतम 22 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 4.3 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.3 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–49,266 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4.3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 10/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 5,300 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नदी तट के किनारे से न्यूनतम 10 प्रतिशत की दूरी	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ

	छोड़ने हेतु।	
वृक्षारोपण कार्य	1,000 नग वृक्षारोपण नदी तट पर, खसरा क्रमांक 220/1, रकबा 0.4 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत कोट का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,16,875
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)

Rupees)	to be Spent	Activities (in Lakh Rupees)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26.28	2%	0.52	Following activities at Nearby, **Village- Kot**	
			Plantation around village pond	0.62
			Total	**0.62**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रूपये, खाद के लिए राशि 2,625 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 23,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 38,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कोट के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 271, क्षेत्रफल 1.753 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। जोंक नदी छोटी नदी है, इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स कोट सेण्ड माईन (प्रो.– श्रीमती स्वाति बंजारे) को ग्राम–कोट, तहसील–दुंड्रा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल लीज क्षेत्रफल–4.1 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 5,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.57 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 21,420 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–03** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

4. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स खैरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राम लोचन यादव), ग्राम–खैरा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2796)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 442310 एवं 25/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	3 हेक्टेयर एवं 36,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।

खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–1198(पार्ट) एवं जोंक नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि	श्री विप्लव साहू, अधिकृत प्रतिनिधि	अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.		उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 07/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 07/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 07/11/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 07/11/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री रामलोचन यादव दिनांक – 31/07/2023 वैधता अवधि – 5 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम – खैरा 360 मीटर एवं दमलपुर 215 मीटर स्कूल ग्राम – खैरा 400 मीटर अस्पताल – शिवरीनारायण 6.75 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग – 870 मीटर राज्यमार्ग – 6.2 कि.मी.	तालाब – 240 मीटर नहर – 1.3 कि.मी. नाला – 3 कि.मी. एनीकट – 7.4 कि.मी.
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 338 मीटर, न्यूनतम 225 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 434 मीटर, न्यूनतम 418 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 74 मीटर, न्यूनतम 67 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 70 मीटर, न्यूनतम 41 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–36,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी	संलग्न है।

	अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 3 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 4 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 10/06/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	600 नग वृक्षारोपण नदी तट पर, खसरा क्रमांक 692/1/क, रकबा 0.24 हेक्टेयर,	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 13,20,000 ग्राम पंचायत खैरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये हैः– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।

श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 3 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
20.22	2%	0.404	Following activities at Nearby, Village- Khaira	
			Plantation around village pond	0.75
			Total	**0.75**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 27,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खैरा के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 300, क्षेत्रफल 1.062 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खैरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। जोंक नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर

प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

   iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

   iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. रेत उत्खनन के संबंध में संबंधित ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र को एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

6. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स खैरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राम लोचन यादव) को ग्राम–खैरा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा, खसरा क्रमांक 1198(पार्ट), कुल लीज क्षेत्रफल–3 हेक्टेयर में उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–04** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

7. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स कोनचरा सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत कोनचरा), ग्राम–कोनचरा, तहसील–बेलगहना, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2798)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	टी.ओ.आर. – 453373 एवं 25/11/2024 ई.डी.एस. जानकारी प्राप्ति दिनांक 16/01/2024	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.6 हेक्टेयर एवं 34,500 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–212(पार्ट) एवं अरपा नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री बलभद्र सिंह तनवर, सरपंच, प्रोपराईटर उपस्थित हुये।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत कोनचरा दिनांक 29/01/2023	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 29/09/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 29/01/2024	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 29/01/2024	1 खदान, क्षेत्रफल 4.75 हेक्टेयर
200 मीटर	दिनांक 29/01/2024	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है। आबादी 130 मीटर एवं कच्ची सड़क 100 मीटर दूर है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – सरपंच, ग्राम पंचायत कोनचरा दिनांक – 29/05/2023 वैधता अवधि – 5 वर्ष	संलग्न है।
वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–कोनचरा 140 मीटर, स्कूल ग्राम–कोनचरा 360 मीटर अस्पताल–बेलगहना 5.5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग–19.1 कि.मी.	तालाब 430 मीटर नाला 1.35 कि.मी. नहर 580 मीटर ब्रीज – 2 कि.मी. एनीकट 2.45 कि.मी.
पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 163 मीटर, न्यूनतम 100 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 1082 मीटर, न्यूनतम 1047 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 54 मीटर, न्यूनतम 32 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 35 मीटर, न्यूनतम 12 मीटर	समिति द्वारा पाया गया कि जिस खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 163 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 35 मीटर है तथा खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई 100 मीटर है, उस खनन स्थल पर नदी तट के किनारे से दूरी न्यूनतम 12 मीटर है। अतः गैर माईनिंग क्षेत्र की आवश्यकता नहीं है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3.25 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.25 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–34,500 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.25 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 12 / 06 / 2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	1,000 नग वृक्षारोपण नदी तट पर, खसरा क्रमांक 380 / 1 / 1, रकबा 0.4 हेक्टेयर, ग्राम पंचायत कोनचरा का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 15,17,000
श्रेणी	बी–1	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 9.35 हेक्टेयर है।

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया है कि बेसलाईन डाटा कलेक्शन का कार्य 05 दिसम्बर 2023 से प्रारंभ किया गया, जिसकी सूचना तत्समय दी गई थी।

2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.

ii. Project proponent shall submit the details of monitoring equipments alongwith its specification. Project proponent shall monitor as per the Methodology issued by MoEF&CC.

iii. Project proponent shall submit NOC from DFO, forest department mentioning the distance from forest.

iv. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.

v. Project proponent shall submit letter from Deputy Director (Wildlife & Biodiversity Conservation) mentioning with the distance of nearest National Park & Wildlife Santuary from the lease area.

vi. Project Proponent shall submit the post-monsoon RL data in the interval of 25x25 meter grid pattern and shall certified information from the Mining Department. This grid pattern area shall cover outside the mining lease upto 100 meters from mining lease.

vii. Project Proponent shall submit the DGPS co-ordinates of Boundary.

viii. EIA study shall be done at minimum 8 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.

ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.

x. Project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit that mining shall be conducted / carriedout only manually (excavation of sand to be done manually).

xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.

xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

xiii. Project proponent shall submit the DPR (Detailed Project Report) of river bank plantation and undertake plantation & incorporate in the EIA report.

xiv. Project proponent shall submit DPR (Detailed Project Report) of CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स मुरकी सेण्ड क्वारी (प्रो.– श्रीमती जगजीत सिंह कौर), ग्राम पंचायत मोरधा, ग्राम–मुरकी, तहसील एवं जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2804)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 451151 एवं 27/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.8 हेक्टेयर एवं 96,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–569 एवं बगनई नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री नरेन्द्र सिंह ढिल्लन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत मोरधा दिनांक 07/11/2017	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 13/09/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 09/11/2022	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 09/11/2022	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 09/11/2022	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्रीमती जगजीत सिंह कौर दिनांक – 31/05/2023 वैधता अवधि – 6 माह	एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

वन विभाग एन.ओ.सी.		आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– राजकट्टी 435 मीटर स्कूल ग्राम– राजकट्टी 845 मीटर अस्पताल– राजकट्टी 800 मीटर राष्ट्रीय राजमार्ग– 16.5 कि.मी. राज्यमार्ग– 1.6 कि.मी.	रोड ब्रिज– 1.6 कि.मी.
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 202 मीटर, न्यूनतम 118 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 997 मीटर, न्यूनतम 980 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 65 मीटर, न्यूनतम 38 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 40 मीटर, न्यूनतम 21 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3–4 मीटर रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–96,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या – 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 27/01/2024 जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।	प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणित कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
वृक्षारोपण कार्य	1,100 नग वृक्षारोपण नदी तट पर	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 12,33,860 रूपये

		ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र		प्रस्तुत नहीं किया गया है।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
53.42	2%	1.06	Following activities at Nearby, **Village- Murki**	
			Plantation Work at Govt. Land	4.91
			Total	**4.91**

सी.ई.आर. के अंतर्गत शासकीय भूमि में वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 450 नग पौधों के लिए राशि 33,750 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 76,320 रूपये, खाद के लिए राशि 4,500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 69,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,83,570 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 3,07,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम मुरकी के शासकीय भूमि (खसरा क्रमांक 112, रकबा 4.8 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के तहत ग्राम मुरकी के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. नदी तट पर किये जाने वाले 1,100 नग वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. आवेदित क्षेत्र की निकटतम वन क्षेत्र से दूरी का उल्लेख करते हुए कार्यालय वनमण्डलाधिकारी से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत प्रस्तुत किया जाए।
5. सी.ई.आर. के तहत ग्राम मुरकी के शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु भूमि खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना से जिन–जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

7. खदान क्षेत्र के आस–पास नदी तट एवं पहुंच मार्ग में सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

8. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरूद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

12. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

13. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि अनुमोदित उत्खनन योजना में दिए माईनेबल रिजर्व का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जाएगा।

15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि खदान में तथा खनन के दौरान सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाईडलाईन 2016 एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स पुरनापानी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री देवशरण बघेल), ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2809)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453534 एवं 28/11/2023	

खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	4.1 हेक्टेयर एवं 49,200 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक 01 एवं तेलनदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री सतीश दौरा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
पूर्व में जारी ई.सी.	इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	संलग्न है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत पुरनापानी दिनांक 25/05/2018	संलग्न है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 21/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित		कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
500 मीटर	दिनांक 16/10/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 16/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री देवशरण बघेल दिनांक – 05/10/2023 वैधता अवधि – 1 वर्ष	जारी एल.ओ.आई. में "छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम साधारण रेत का उत्खनन एवं व्यवसाय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) नियम 2023 नियम 7 के तहत् रेत खदान उत्खनिपट्टा अवधि 5 वर्ष की स्वीकृति के लिए निम्नलिखित शर्तों के पूति हेतु यह आशय पत्र जारी किया जा रहा है" का उल्लेख है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमंडलाधिकारी, गरियाबंद वनमण्डल गरियाबंद द्वारा जारी दिनांक 05/12/2020	वन क्षेत्र से दूरी – 14 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम–पुरनापानी 460 मीटर, स्कूल ग्राम–पुरनापानी 1.5 कि.मी. अस्पताल– देवभोग 7 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 4 कि.मी. राज्यमार्ग– 41 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता	संलग्न है।

	क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 438 मीटर, न्यूनतम 421 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 229 मीटर, न्यूनतम 216 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 187 मीटर, न्यूनतम 182 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 24 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर से अधिक रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–49,200 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार – स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.9 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स –	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 13/12/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल – 6,418 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण – नदी के पाट की चौड़ाई अधिकतम 438 मीटर, न्यूनतम 421 मीटर है, जबकि खदान की नदी तट के किनारे से दूरी अधिकतम 24 मीटर, न्यूनतम 5 मीटर है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार नदी तट से न्यूनतम 7.5 मीटर अथवा नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत दूरी तक के क्षेत्र में खनन नहीं किया जा सकता।	माईनिंग प्लान में उल्लेख– हाँ
वृक्षारोपण कार्य	1,000 नग वृक्षारोपण नदी तट पर खसरा क्रमांक 13 रकबा 0.45 हेक्टेयर एवं 14, रकबा 0.18 हेक्टेयर (कुल 0.63 हेक्टेयर) ग्राम पंचायत पुरनापानी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,83,000 रूपये
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking)

	एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, रेत उत्खनन एवं भराई का कार्य मैनुअल विधि से किये जाने व भारी वाहनों को नदी में नहीं उतारने, मिनरल कन्सेशन नियम के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 4.1 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.29	2%	0.26	Following activities at Nearby,	

			Village- Purnapani	
			Plantation around pond	0.35
			Total	**0.35**

सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 26,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पुरनापानी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 96, क्षेत्रफल 0.56 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. सी.ई.आर. कार्य एवं नदी तट में वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं नदी तट में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।

3. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि लोडर जैसे यंत्र भारी वाहन की श्रेणी के है। अतः भराई का कार्य मैनुअल विधि से ही कराई जावें। भारी वाहनों के नदी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। तेल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

2. **लीज क्षेत्र की सतह का बेसलाईन डाटा –**

   i. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें।

   ii. रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा।

iii. इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा।

iv. रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

3. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित प्रमाण पत्र की प्रति को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन ही पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

4. प्रस्तावित स्थल में 25 मीटर गुणा 25 मीटर के ग्रिड बिन्दुओं पर लिये गये रेत सतह के वर्तमान लेवल्स (Levels) को खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मेसर्स पुरनापानी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री देवशरण बघेल) को ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद, पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्रफल–4.1 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 6,418 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.4582 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए, कुल 20,750 घनमीटर प्रतिवर्ष रेत उत्खनन हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु **परिशिष्ट–05** में वर्णित शर्तों के अधीन दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड (River Bed) में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

6. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स पोंडम सेण्ड माईन (सरपंच, ग्राम पंचायत पोंडम), ग्राम–पोंडम, तहसील–दंतेवाड़ा, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2814)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी – 453624 एवं 28/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित

क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	खसरा क्रमांक–948(पार्ट) एवं डंकनी नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 23/01/2024

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 29/01/2024 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

11. मेसर्स गतवा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री वैभव सलूजा), ग्राम–गतवा, तहसील–चांपा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2810)

विषय वस्तु	**आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण**	**समिति द्वारा नोट किया गया कि**
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. – 453535 एवं 28/11/2023	
खदान का प्रकार	रेत (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	5 हेक्टेयर एवं 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष	संलग्न है।
खसरा क्रमांक एवं नदी	पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01 एवं हसदेव नदी	संलग्न है।
बैठक का विवरण	509वीं बैठक दिनांक 29/01/2024	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 22/01/2024
प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री मोहर साहू, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत गतवा दिनांक 18/11/2022	आवेदित खदान के खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत के अनापत्ति प्रमाण पत्र की संशोधित प्रति प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 06/11/2023	संलग्न है।
चिन्हांकित/ सीमांकित	दिनांक 22/11/2023	संलग्न है।
500 मीटर	दिनांक 22/11/2023	खदानों की संख्या निरंक है।
200 मीटर	दिनांक 19/10/2023	प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

		सड़क 150 मीटर (नदी के बाहर) दूर है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक – श्री वैभव सलूजा दिनांक – 31/01/2020 वैधता अवधि – 6 माह	वैधता वृद्धि हेतु जारी पत्र – दिनांक 09/06/2023 वैधता अवधि – पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने एवं उत्खनिपट्टा स्वीकृति आदेश जारी करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान किया गया है।
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, जांजगीर–चांपा, वन मण्डल चांपा द्वारा जारी दिनांक 30/11/2019	वन क्षेत्र से दूरी – 31 कि.मी.
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी ग्राम– गतवा 500 मीटर स्कूल ग्राम– गतवा 500 मीटर अस्पताल– गतवा 5 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग– 11 कि.मी. राज्यमार्ग– 2.2 कि.मी.	संलग्न है।
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	संलग्न है।
खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई एवं खदान की नदी तट से दूरी	**खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई–** अधिकतम 550 मीटर, न्यूनतम 510 मीटर **खनन स्थल की लंबाई –** अधिकतम 328 मीटर, न्यूनतम 323 मीटर **खनन स्थल की चौड़ाई –** अधिकतम 154 मीटर, न्यूनतम 150 मीटर **खदान की नदी तट के किनारे से दूरी –** अधिकतम 132 मीटर, न्यूनतम 88 मीटर	संलग्न है।
खदान स्थल पर रेत की मोटाई	स्थल पर रेत की गहराई – 3–4 मीटर से अधिक रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर खदान में माईनेबल रेत की मात्रा–60,000 घनमीटर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी अनुसार –	संलग्न है।

	स्थल पर किये गये गढ्ढे (Pits) की संख्या 5 रेत की उपलब्ध औसत गहराई 3.16 मीटर रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा प्रस्तुत किया गया है।	
खदान क्षेत्र में रेत सतह के लेवल्स	ग्रिड बिन्दु – 25 मीटर X 25 मीटर लेवल्स (Levels) दिनांक 05/11/2023 खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।	संलग्न है।
वृक्षारोपण कार्य	शासकीय भूमि में वृक्षारोपण – 1,000 नग किया जाना है। (खसरा क्रमांक 19/2, क्षेत्रफल 0.575 हेक्टेयर)	प्रस्तावित कार्य हेतु 5 वर्ष की राशि – 2,83,000 रूपये शासकीय भूमि में वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
परियोजना से संबंधित शपथ पत्र	1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण, सघन वृक्षारोपण एवं 90 प्रतिशत जीवन स्तर सुनिश्चित, छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत् रोजगार, सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य एवं संबंधित शाखा से कार्य पूर्ण प्रतिवेदन जिओटैग फोटोग्राफ सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करने, वर्षाऋतु के दौरान रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया जाएगा। पर्यावरण स्वीकृति में दिये गए शर्तों का पालन किया जाऐगा एवं छः माही पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, प्राकृतिक जल स्त्रोतों के संरक्षण एवं सवर्धन हेतु, रेत उत्खनन एवं भराई का कार्य मैनुअल विधि से किये जाने व भारी वाहनों को नदी में नहीं उतारने, मिनरल कन्सेशन नियम के तहत् बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन किये जाने आदि बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। 2. इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जावेगा एवं अनुमोदित	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्न शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किये गये है:– 1. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। 2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है। 3. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को Common Cause vs. Union of India Writ Petition (C) 114 of 2014 में दिए गए दिशा निर्देशों का मेरे द्वारा पालन किया जावेगा। 4. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common

	उत्खनन योजना में दिये गये माईनेबल रिर्जव का 60 प्रतिशत रिजर्व ही उत्खनन किया जावेगा। 3. खदान में उत्खनन के दौरान सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इन्फोर्समेंट एवं मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेंड माईनिंग 2020 के प्रावधानों का पालन किया जाएगा। उपरोक्त सभी तथ्यों का पालन किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized Undertaking) प्रस्तुत किया गया है।	cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा।
श्रेणी	बी–2	आवेदित खदान का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर है।

1. **कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.)** – परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
14.83	2%	0.29	Following activities at Nearby, **Village- Gatwa**	
			Plantation around Village Pond	0.35
			Total	**0.35**

2. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 2,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 26,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित तालाब का खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल की जानकारी, संबंधित ग्राम पंचायत का सहमति पत्र के साथ प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उत्खनन के संबंध में आवेदित खदान के खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र की संशोधित प्रति प्रस्तुत किया जाए।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना के तहत् शासकीय भूमि में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु ग्राम पंचायत का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।

3. सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण किये जाने हेतु ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक एवं क्षेत्रफल सहित) की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(कलदियुस तिर्की)
सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

(डॉ. बी.पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
छत्तीसगढ़

मेसर्स दर्री सेण्ड माईन (प्रो.– श्री अमनदीप सिंह छाबड़ा) को खसरा क्रमांक 759, कुल क्षेत्रफल–16 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 1,333 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 15.8667 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में, ग्राम–दर्री, तहसील व जिला–धमतरी (छ.ग.) में महानदी से रेत उत्खनन क्षमता 95,200 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1.5 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1.5 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।
5. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
7. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
8. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 15.8667 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1.5 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 95,200 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

11. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

12. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा। प्रकृति प्रदत्त संसाधन अत्यंत सीमित है। अतः अन्धाधुन दोहन की मानसिकता का त्याग किया जाए।

13. तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मॉनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मॉनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मॉनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।

14. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी (जो भी अधिक हो) छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

16. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

17. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए।

18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

19. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

20. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

21. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 4,800 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा चैन लिंक तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।** वृक्षारोपण कार्य नहीं किये जाने की स्थिति में यह पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

22. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।

23. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

24. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

25. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
123.7	2%	2.474	Following activities at Nearby,	

			Village- Darri	
			Plantation around village pond	1.15
			Pond renovation at Gram Panchayat Darri	1.56
			Total	2.71

26. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत कार्यपूर्ति प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।
27. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, जाम, सीताफल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 200 नग पौधों तालाब कें चारो ओर पौधों के लिए राशि 10,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 80,000 रूपये, खाद के लिए राशि 2,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 8,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 1,00,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 15,200 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण एवं तालाब के सौंदर्यीकरण हेतु 1,56,700 रूपये का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत दर्री के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 485, क्षेत्रफल 0.79 हेक्टेयर में स्थित तालाब) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करे।
28. इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार नदी तट एवं पहुंच मार्ग पर 2,000 नग पौधों का वृक्षारोपण कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए। साथ ही पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख–रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण किया जाए। उपरोक्तानुसार कार्य नहीं करना पाये जाने पर पर्यावणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जावेगी।
29. सी.ई.आर., इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., इन्व्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए तथा सत्यापन रिपोर्ट एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीगढ़ में प्रस्तुत किया जाए।
30. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर./ई.एम.पी. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
32. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड /

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का पालन सुनिश्चित किया जाए।

33. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का पालन सुनिश्चित किया जाए।

34. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

35. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा।

36. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

37. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

38. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

39. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

40. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियॉ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की वेबसाइट www.envfor.nic.in एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.seiaacg.org पर भी किया जा सकता है।

41. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

42. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

43. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

44. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

45. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

46. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF INDUCTION FURNACE (MS BILLETS) OF CAPACITY- 38,640 TONNES / YEAR TO 1,33,000 TONNES / YEAR & REROLLED PRODUCT CAPACITY – 57,800 TONNES / YEAR TO 2,49,000 TONNES / YEAR (THROUGH HOT CHARGING BASED ROLLING MILL OF CAPACITY- 1,05,000 TONNES / YEAR & THROUGH REHEATING FURNACE BASED ROLLING MILL OF CAPACITY – 1,44,000 TONNES / YEAR) AND MS PIPES OF CAPACITY – 1,20,000 TONNES / YEAR OF M/S MR ENTERPRISES, HEAVY INDUSTRIAL AREA HATHKHOJ, BHILAI, DISTRICT-DURG, PLOT NO- 1A, 1B & 2I, AREA-2.42 HECTARE

This environmental clearance is being issued under following conditions therefore read these conditions very carefully and ensure the strict compliance of the same.

I. Statutory Compliance:

i. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB).

ii. The project proponent shall obtain all necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water / from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.

iii. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and Other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

II. Air Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall install 24x7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 vide G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time; and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. The project proponent shall monitor fugitive emissions in the plant premises at least once in every quarter through laboratories recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall make provision for carryout Ambient Air Quality monitoring for common / criterion parameters relevant to the main pollutant released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NO_x in reference to SO_2 and NO_x emissions) within and outside the plant area (at least at four locations one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions and connected to SPCB and CPCB online server.

iv. The project proponent shall provide adequate air pollution control arrangements at all point and non point sources. Collecting hoods with Fume Extraction System with central dust collection system with Bag filters (PTFE) of adequate capacity and high efficiency shall be installed in Induction furnace(s) with minimum 30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. Wet scrubber of high efficiency shall be installed in Re-heating furnace(s) with minimum

30 meter stack height to ensure that particulate matter emission less than 30 mg/Nm3 all the time. The project proponent shall provide leakage detection and mechanized bag cleaning facilities for better maintenance of bags. Project proponent shall install suitable & effective air pollution control equipments at all transfer points, junction points etc. also. All the conveying system, transfer point, junction point etc. shall be covered. Adequate provision shall be made for sprinkling of water at strategic locations to ensure dust does not get air borne. Proper ventilation shall also be provided in induction furnace plant. All air pollution control systems shall be kept in good running condition all the time and failure (if any), shall be immediately rectified without delay; otherwise, similar alternate arrangement shall be made. In the event of any failure of any pollution control system adopted by the Project proponent, the respective production unit shall not be restarted until the control measures are rectified to achieve the desired efficiency. As per proposal submitted emission of pollutants from any point source shall not exceed the following limit: -

Particulate Matter	30 mg/Nm^3 (Thirty Milligram per Normal Cubic Meter)

Project proponent shall provide proper space provision for further retrofitting of air pollution control systems in case of further stringency of particulate matter emission limit. The height of any other stack(s) shall not be less than 30 meters.

v. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality / fugitive emissions to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

vi. Sufficient number of mobile or stationery vacuum cleaners shall be provided to clean plant roads, shop floors, roofs, regularly.

vii. The project proponent shall use mechanically covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of raw materials.

viii. At entry and exit point of plant, wheel wash system shall be provided to control wheel generated dust.

ix. Provision for monitoring of vehicles by installation of closed-circuit cameras (CCTv) at suitable locations i.e. entry gate, weigh bridge, internal parking area etc. shall also be made to ensure the incoming and outgoing vehicles are mechanically covered.

x. The project proponent shall provide covered sheds for raw materials.

III. Water Quality Monitoring and Preservation

i. The project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of industrial effluent and domestic effluent. Project proponent shall provide adequate facility for proper treatment of effluent (neutralization system) if required. The waste water generated during the process shall be reused in colling purpose. MBBR based sewage treatment arrangement of capacity 08 KLD shall be provided for treatment of domestic effluent to meet the prescribed standards. Treated water shall be utilized in plantation and dust suppression. Project proponent shall ensure the treated effluent quality within standard prescribed by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India under G.S.R 277(E) dated 31st March 2012 as amended from time to time. No effluent shall be discharged out of plant premises under any circumstances. Any liquid effluent what so ever

generated shall not be discharged into the river or any surface water bodies under any circumstances, and it shall be reused wholly in the process / plantation within plant area. Adhere to 'Zero Liquid Discharge'.

ii. The project proponent shall monitor regularly ground water quality at least twice a year (pre and post monsoon) at sufficient numbers of piezometers / sampling wells in the plant and adjacent areas through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 and NABL accredited laboratories.

iii. The project proponent shall submit monthly summary report of effluent monitoring and results of manual effluent testing and manual monitoring of ground water quality to Integrated Regional Office of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nava Raipur Atal Nagar, Zonal office of CPCB and Regional Office of Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) along with six-monthly monitoring report.

iv. Garland drains and collection pits shall be provided for each stock pile to arrest the run-off in the event of heavy rains and to check the water pollution due to surface run off.

v. The project proponent shall practice rainwater harvesting to maximum possible extent.

vi. The project proponent shall make efforts to minimize water consumption in the plant by segregation of used water, practicing cascade use and by recycling treated water.

vii. The project proponent shall used the maximum surface water. Project proponent shall not use ground water without prior permission from the Central Ground Water Authority (CGWA).

IV. Noise Monitoring and Prevention

i. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as a part of six-monthly compliance report.

ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under Environment (Protection) Rules, 1986 viz. 75 dB (A) during day time and 70 dB (A) during night time.

V. Energy Conservation Measures

i. Provide solar power generation on roof tops of buildings, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.

ii. The project proponent shall ensure use of LED lights in their offices and residential areas.

VI. Waste Management

i. The project proponent shall take effective steps for safe disposal of solid wastes and sludge.

S.No	Iteam	Qty (TPA)	Disposal
1.	Defective Billets	4,200	Will be partially used in own induction furnace and remaining will be sold to re-rolling mills.
2.	Slag	24,761	Will be internally used for metal recovery or given to metal recovery units.

3.	Refractory Waste	175	Will be given to authorized recyclers.
4.	Mill Scale	6,400	Will be sold to ferro alloys/Pellet plant etc.
5.	Miss Rolls/End cutting	3,979	Will be reused in own induction furnace.
6.	Coal Ash	1,728	Will be given to brick manufacturer and for road making and plinth filling.
7.	MS Scrap From Pipe mill	5,000	Will be internally re-used remaining will sold to other units.

Filter dust shall be reused in own induction Furnaces. Used oil shall be given to authorized recyclers / agencies.

ii. Used refractories shall be recycled as far as possible.

iii. Waste oil, grease and other hazardous waste shall be disposed off as per the Hazardous & Other Waste (Management & Transboundary Movement) Rules, 2016.

iv. Project proponent shall ensure that what ever phenolic water be generated shall be immediately incinerated in own gasifier. Project proponent shall ensure the no phenolic water shallbe discharged outside the premises under any circumstances. Project proponent shall also follow the guidelines of SOP issued by CPCB in this matter and shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

v. The project proponent shall utilize fly ash bricks / blocks etc. in all construction activities.

vi. Kitchen waste (if any) shall be composted or converted to biogas for further use.

vii. The project proponent shall install filter press for dry disposal of sludge received from ETP (if any) and shall used the waste as manure in plantation.

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area not less than 40% of the total plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. Project proponent shall ensure that greenbelt will be developed 34% of the total plant area within the plant premises and additional 6% plantation will be developed in the plant premises or outside plant area within 05 km radius after permission of concern authority. Greenbelt shall inter alia cover the periphery of the plant. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. Project proponent shall ensure that plantation will be done within 1 year.

ii. The project proponent shall prepare GHG emissions inventory for the plant and shall submit the programme for reduction of the same including carbon sequestration including plantation.

VIII. Public Hearing & Human health Issues

i. The project proponent shall strictly follow the timeframe so as to close/ comply the issue the raised during Public Hearing.

ii. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

iii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act

IX. Human health Issues

i. Emergency preparedness plan based on the Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.

ii. The project proponent shall carry out heat stress analysis for the workmen who work in high temperature work zone and provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.

iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, creche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.

iv. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.

X. Corporate Environment Responsibility

i. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	**Percentage of Capital Investment to be Spent**	**Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)**	**Amount Proposed & Details for CER Activities (In Lakh Rupees)**	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)**
3000	1%	30	Following activities at nearby, **Village-Hathkhoj**	
			Eco Park Cum Oxyzone	30
			Total	**30**

ii. The project proponent shall submit the Corporate Environmental Responsibility project work completion report issued by the concerned Gram Panchayat of the respective village.

iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

XI. Additional Conditions

i. If any waste comes under Hazardous category, project proponent shall obtain authorization of Hazardous Waste disposal as per the Hazardous & Other Wastes (Management And Transboundary Movement) Rules, 2016 as amended from time to time.

ii. Project proponent shall not disturb the livelihood of habitants, depends on forest based products.

iii. Project proponent shall form a tripartite committee (Representative of Industry, Representative of District administration/CECB and Member of Gram panchayat) which will monitor the compliance of Green Belt within the premises, Corporate Environmental Responsibility activities etc.

iv. This EC shall be granted subject to the conditions that the emission level shall not exceed the prescribed limit notified by Central Pollution Control Board failing which this EC shall deemed to be cancelled.

v. No additional land shall be acquired for this project.

vi. Local persons shall be given necessary training and employment during development and operation of the plant. The project proponent shall ensure skill development of local people.

vii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.

viii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

ix. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.

x. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10}, SO_2, NO_x (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.

xi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.

xii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

xiii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.

xiv. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.

xv. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.

xvi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.

xvii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory or not fullfilled.

xviii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.

xix. The Integrated Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Raipur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.

xx. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

xxi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.

xxii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

Member Secretary, SEAC **Chairman, SEAC**

मेसर्स कोट सेण्ड माईन (प्रो.– श्रीमती स्वाति बंजारे) को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1/1, कुल क्षेत्रफल – 4.1 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 5,300 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.57 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–कोट, तहसील–टुंड्रा, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में जोंक नदी से रेत उत्खनन क्षमता 21,420 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3.57 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 21,420 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1.5 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना

पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 820 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
26.28	2%	0.52	Following activities at Nearby, **Village- Kot**	
			Plantation around	0.62

			village pond	
			Total	**0.62**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 35 नग पौधों के लिए राशि 3,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 5,250 रूपये, खाद के लिए राशि 2,625 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 12,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 23,375 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 38,500 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत कोट के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 271, क्षेत्रफल 1.753 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में

मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. **अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.**

मेसर्स खैरा सेण्ड माईन (प्रो.– श्री राम लोचन यादव) को 1198(पार्ट), कुल क्षेत्रफल – 3 हेक्टेयर में उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–खैरा, तहसील–कसडोल, जिला–बलौदाबाजार–भाटापारा में जोंक नदी से रेत उत्खनन क्षमता 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 18,000 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।
9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1.5 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 600 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

<table>
<tr><th rowspan="2">Capital Investment (in Lakh Rupees)</th><th rowspan="2">Percentage of Capital Investment to be Spent</th><th rowspan="2">Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)</th><th colspan="2">Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><th>Particulars</th><th>CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)</th></tr>
<tr><td rowspan="4">20.22</td><td rowspan="4">2%</td><td rowspan="4">0.404</td><td colspan="2">Following activities at Nearby, Village- Khaira</td></tr>
<tr><td>Plantation around village pond</td><td>0.75</td></tr>
<tr><td>Total</td><td>0.75</td></tr>
</table>

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत

से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल, जामुन आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 4,000 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 6,000 रूपये, खाद के लिए राशि 3,000 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 14,000 रूपये इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 27,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 48,000 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत खैरा के यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 300, क्षेत्रफल 1.062 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

मेंसर्स पुरनापानी सेण्ड माईन (प्रो.– श्री देवशरण बघेल)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, कुल क्षेत्रफल – 4.1 हेक्टेयर में से माईनिंग प्लान अनुसार गैर माईनिंग क्षेत्र 6,418 वर्गमीटर क्षेत्र कम करने पर 3.4582 हेक्टेयर उत्खनन हेतु वैध क्षेत्र का कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल में ही रेत उत्खनन, ग्राम–पुरनापानी, तहसील–देवभोग, जिला–गरियाबंद में तेल नदी से रेत उत्खनन क्षमता 20,750 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु प्रस्तावित पर्यावरण स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावें तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. सस्टेनेबल सेण्ड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन्स, 2016 (Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016) एवं ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के अनुसार पालन सुनिश्चित किया जाए।
3. ईन्फोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाईडलाईन्स फॉर सेण्ड माईनिंग, 2020 (Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining) के तहत् 60 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. **गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट** – परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके। उक्त स्टडी रिपोर्ट की प्रति जिला खनिज अधिकारी एवं एस.ई.आई.ए.ए., छ.ग. में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जाएगी। उक्त स्टडी रिपोर्ट के आधार पर ही आगामी उत्खनन की मात्रा एवं उत्खनन की अवधि प्रभावित होगी।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल आक्षांश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
6. लीज क्षेत्र के चारों कोनो तथा सीमा लाईन के मध्य में सीमेंट के खम्भें गड़ाना आवश्यक है ताकि लीज क्षेत्र नदी में स्पष्ट दृष्टिगोचर हो सके।
7. यदि खदान खनिज विभाग द्वारा अधिसूचित किसी क्लस्टर में है, अथवा 500 मीटर के भीतर स्वीकृत रेत खदानों का कुल रकबा 5 हेक्टेयर से अधिक होता है तो पर्यावरण स्वीकृति मान्य नहीं होगी।
8. माईनिंग प्लान अनुसार वैध उत्खनन क्षेत्र 3.4582 हेक्टेयर के कुल 60 प्रतिशत क्षेत्रफल से अधिक नहीं होगा। शेष 40 प्रतिशत क्षेत्र में उत्खनन नहीं किया जाएगा। रेत का उत्खनन सतह से 1 मीटर गहराई तक ही किया जाएगा, उससे अधिक नहीं। इसी प्रकार खदान से रेत का अधिकतम उत्खनन 20,750 घनमीटर प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा।

9. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना होगा।

10. रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व उपरोक्तानुसार निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर नदी में रेत की सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे कर, उसके आंकड़ें तत्काल एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किये जायें। रेत खनन उपरांत मानसून के पूर्व (मई माह के अंतिम सप्ताह/जून के प्रथम सप्ताह) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं में माईनिंग लीज क्षेत्र तथा लीज क्षेत्र के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर तक तथा खनन लीज के बाहर/नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का सर्वे पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर किया जायेगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून (अक्टूबर/नवम्बर माह में रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व) इन्ही ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) के मापन का कार्य आगामी 6 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा। प्री–मानसून के आंकड़ें अगस्त 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 एवं पोस्ट–मानसून के आंकड़ें दिसम्बर 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे।

11. रेत की खुदाई एवं भराई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। इस प्रयोजन के लिये किसी उपकरण संयंत्र (Machinery) आदि का उपयोग नहीं किया जाएगा। रिवर बेड में भारी वाहनों जैसे– जेसीबी मशीन, पोकलैण्ड, लोडर, चैनमाउण्टेड मशीन, हाईवा आदि का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

12. रेत का उत्खनन केवल चिन्हीत, सीमांकित एवं घोषित क्षेत्र मे ही किया जाएगा। रेत उत्खनन की अधिकतम गहराई सतह से 1 मीटर अथवा वर्तमान जल स्तर की ऊपरी सतह से 1.5 मीटर छोड़कर दोनो मे से जो कम हो, से अधिक नहीं होगी। रेत का उत्खनन किसी भी परिस्थिति में जल स्तर के नीचे नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 2 मीटर मोटाई तक की रेत नदी तल (हार्ड रॉक) के ऊपर छोड़ा जाना आवश्यक है।

13. रेत उत्खनन नदी तटों से कम से कम 7.5 मीटर अथवा नदी की चौड़ाई के 10 प्रतिशत की दूरी जो भी अधिक हो छोड़कर ही किया जाएगा, ताकि नदी तटों का क्षरण न हो। किसी भी पुलिया, स्टापडेम, बांध, एनीकट, जल प्रदाय व्यवस्था एवं अन्य स्थायी संरचनाओं से खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर सुरक्षित क्षेत्र छोड़ा जाना अनिवार्य है।

14. यह सुनिश्चित किया जाए कि रेत उत्खनन के कारण नदी जल का वेग, टर्बिडिटी एवं जल बहाव के स्वरूप पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

15. यह सुनिश्चित किया जाए कि उत्खनन केवल उसी क्षेत्र में किया जाए जिसमें तथा जिसके आस–पास के क्षेत्र पर कोई भी जीव–जन्तु प्रजनन हेतु निर्भर न हो। कछुओं के प्रजनन इकाईयों / क्षेत्रों का संरक्षण आवश्यक है, अतः इन क्षेत्रों के आस पास रेत उत्खनन नहीं किया जाए।

16. रेत उत्खनन एवं भराई / परिवहन दिन के समय (सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य) ही किया जाए। यह कार्य रात्रि के समय नहीं किया जाए। रात्रि में उत्खनन करना

पाये जाने की स्थिति में अवैध उत्खनन माना जाएगा तथा परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त भी की जा सकेगी।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन विभिन्न प्रभागों यथा लोडिंग / अनलोडिंग आदि से उत्पन्न होने वाले फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु उपयुक्त वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाएं जैसे जल छिडकाव अथवा अन्य उपयुक्त व्यवस्था की जाए। रेत उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

18. रेत का परिवहन तारपोलिन अथवा अन्य उपयुक्त माध्यम से ढ़के हुए वाहन से किया जाए, ताकि रेत वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।

19. उत्खनन क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण न हो, यह सुनिश्चित किया जाए।

20. **प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024–25 में नदीतट के कटाव को रोकने हेतु लीज क्षेत्र के अनुसार अर्जुन, जामुन, बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के कुल 820 नग पौधों का रोपण नदी तट पर रोपित किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार की बाड़ का उपयोग) किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व लेने संबंधी आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए। रोपित पौधों की सुरक्षा एवं रख–रखाव आगामी 5 वर्षों तक करने का उत्तरदायित्व परियोजना प्रस्तावक का रहेगा।**

21. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें। ऐसा नहीं करने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

22. वृक्षारोपण का रख–रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

23. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।

24. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:–

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
13.29	2%	0.26	Following activities at Nearby, Village- Purnapani	
			Plantation around	0.35

			pond	
			Total	**0.35**

25. सी.ई.आर. के तहत् निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यो के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

26. सी.ई.आर. के अंतर्गत तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण (आम, कटहल एवं जामुन) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कुल 50 नग पौधों के लिए राशि 2,500 रूपये, फेंसिंग के लिए राशि 20,000 रूपये, खाद के लिए राशि 500 रूपये, सिंचाई तथा रख–रखाव आदि के लिए राशि 3,000 रूपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 26,000 रूपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 9,600 रूपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत पुरनापानी के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 96, क्षेत्रफल 0.56 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार कार्य पूर्ण करें।

27. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि–पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि–पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।

28. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ–साथ सी.ई.आर. के तहत् आपके द्वारा कराये गये कार्यो का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।

29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत् प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।

30. परियोजना प्रस्तावक संबंधित केन्द्र / राज्य शासन के विभागों, मण्डलों एवं अन्य संस्थानों से रेत उत्खनन आरंभ करने के पूर्व आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु समय–समय पर केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी निर्देशों / मार्गदर्शिका का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

31. छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015, राज्य शासन द्वारा रेत उत्खनन हेतु जारी अधिसूचना दिनॉक 2/3/2006 के प्रावधानों/शर्तो एवं तद्नुसार जारी दिशा निर्देशों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।

32. कार्य स्थल पर यदि केम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगायें जाते है तो ऐसे श्रमिकों के आवास की उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।

33. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए। साथ ही नदी में

मल मूत्र विसर्जन, अथवा खाद्य सामग्री के पैकेट, प्लॉस्टिक आदि का विसर्जन प्रतिबंधित रहेगा। नदी एवं नदी जल की स्वच्छता का ध्यान रखा जावें।

34. श्रमिकों का समय–समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराया जाये।

35. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए, छत्तीसगढ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

36. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

37. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा मे परिवर्तन अथवा विर्निदिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा मे किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोडने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

38. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस–पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को सशर्त पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ आवश्यक शर्तों सहित सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल मे अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।

39. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, रायपुर, एस.ई. आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए। एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मानिटरिंग की जाएगी।

40. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर/केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।

41. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों,

परिसंकटमय अपशिष्ट (प्रबंधन हथालन एवं सीमापार संचलन) नियम, 2008 (यथा संशोधित) तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

42. प्रस्तावित परियोजना के बारे मे एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

43. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला–व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय मे 30 दिवस की अवधि के लिये प्रदर्शित करेगा।

44. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरूद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि मे की जा सकेगी।

सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.